

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर
-:: आदेश ::-

रायपुर, दिनांक

2015

क्रमांक एफ 03-29/31/स्था./2013 :- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14.08.2013 द्वारा सर्वश्री जे. पी. सुमन, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पाण्डुका, डी. के. जोशी, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग राजिम, तथा जी. एस. साहू, जल संसाधन उपसंभाग, पाण्डुका, एम. के. जैन, उपअभियंता, जल संसाधन उपसंभाग राजिम एवं जे. सी. गर्ग, उपअभियंता, जल संसाधन उपसंभाग, राजिम को पैरी दांयी मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य को निर्धारित मापदण्ड तथा सुनियोजित क्रम में नहीं करने, कार्य एजेन्सी को अनाधिकृत लाभ पहुंचाने, मापपुरस्तिका में गलत इन्द्राज करने तथा संपादित कार्यों पर अनुपयोगी व्यय कर कार्य विभाग नियमावली का उल्लंघन करने के फलस्वरूप निलंबित किया गया है तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग रायपुर निर्धारित किया गया है। तथा विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 09.10.2013 द्वारा इन्हें आरोप पत्रादि जारी किया गया।

2/ जारी आरोप पत्रादि के विरुद्ध अपचारी अधिकारियों से प्राप्त प्रत्युत्तर पर प्रमुख अभियंता का तथ्यात्मक प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किया गया। तत्संबंध में प्रमुख अभियंता ने अपने पत्र दिनांक 04.12.2014 द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त अपचारी अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रत्युत्तर समाधानकारक नहीं होने का उल्लेख करते हुए संयुक्त विभागीय जांच आदेश दिनांक 15.12.2014 द्वारा संस्थित की गई है। साथ ही अपचारी अधिकारियों के निलंबन अवधि को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें निलंबन से बहाल करने का निर्णय लिया गया है।

3/ अतएव राज्य शासन एतद्वारा सर्वश्री जे. पी. सुमन, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पाण्डुका, डी. के. जोशी, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग राजिम, तथा जी. एस. साहू, जल संसाधन उपसंभाग, पाण्डुका, एम. के. जैन, उपअभियंता, जल संसाधन उपसंभाग राजिम एवं जे. सी. गर्ग, उपअभियंता, जल संसाधन उपसंभाग, राजिम को निलंबन से बहाल करते हुए कालम-03 में दर्शित पदस्थापना स्थान पर आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से पदस्थ करता है :-

स.क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	बहाली उपरांत पदस्थापना
01.	02	03
01	श्री जे. पी. सुमन, सहायक अभियंता	कार्यालय अधीक्षण अभियंता, इन्द्रावती परियोजना भंडल, जगदलपुर
02	श्री डी. के. जोशी, सहायक अभियंता	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जगदलपुर

निरन्तर.....2.....

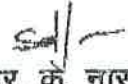
// 02 //

03	श्री जी. एस. साहू, उपअभियंता	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर
04.	श्री एम. के. जैन, उप अभियंता	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुंठपुर
05.	श्री जे. सी. गर्ग, उपअभियंता	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अंबिकापुर

4/ इनके विरुद्ध विभागीय जांच यथावत प्रचलित रहेगी तथा इनके निलंबन अवधि का नियमितीकरण विभागीय जांच के अंतिम निराकरण उपरांत किया जावेगा ।

ETMIS
3/12/2015
SCA

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर. के. नारद)
अवर सचिव

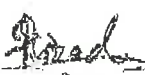
छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग

क्रमांक एफ 03-29/31/स्था./2013
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 11-2-2015

01. मान० मंत्रीजी के विशेष सहायक, छ०ग० शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
02. सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर
03. सचिव, छ०ग० शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
04. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
05. मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर/हसदेव गंगा कछार, अंबिकापुर ।
06. अधीक्षण अभियंता, इंद्रावती परियोजना मंडल, जगदलपुर/श्याम बरनई परियोजना मंडल, अंबिकापुर/भू-जल सर्वेक्षण मंडल, जल संसाधन विभाग रायपुर
07. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जगदलपुर/अंबिकापुर/सूरजपुर/जल संसाधन संभाग क्र.-1 अंबिकापुर
08. संबंधित:-सर्वश्री जे. पी. सुन्न, सहायक अभियंता, डी. के. जोशी, सहायक अभियंता, तथा जी. एस. साहू, एम. के. जैन, एवं जे. सी. गर्ग, उपअभियंतगण द्वारा प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर
09. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग